संख्या : 4132/आठ–1–07

प्रेषक,

मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. **अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।
5. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2007

विषय : रिट याचिका संख्या : 5696 (एम/बी)/2006 गोमती नगर जनकल्याण महासमिति बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.06 के अनुपालन में बहुमंजिले भवनों में अग्नि शमन सुरक्षा संबंधी व्यवथाएं सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर शासनादेश संख्या : सीएम.161/आठ–1–07–132 रिट/06, दिनांक 13 अगस्त, 2007 के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विस्तृत निदेश निर्गत किये गये थे तथा अपेक्षा की गयी थी कि इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करवाकर इसकी अनुपालन आख्या शासन को तत्काल सूचित की जायेगी। अत्यन्त खेद का विषय है कि लगभग 01 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जो के उपरान्त इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति/प्रगति की सूचना शासन को उपलब्ध नही कराई गयी है। कृप्या इस महत्वपूर्ण विषय पर अगले एक सप्ताह में सभी अधिकारियों की अपनी अध्यक्षता में बैठक करके निम्न संलग्नकों पर दी गयी चेक लिस्ट/प्रारूप के अनुसार भवनवार अभिलेखों का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सूचना संकलित कर शासन को विलम्बतम 20 अक्टूबर, 2007 तक स्टेट्स रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें :–

i बहुमंजिले भवन जो निर्मित हैं एवं अध्यासित (Occupied) हैं, के सम्बन्ध में संलग्नक–1 पर

ii बहुमंजिले भवन जो निर्मित हैं, परन्तु अध्यसासित नही है, के सम्बन्ध में संलग्नक–2 पर,

iii बहुमंजिले भवन जो निर्माणाधीन हैं, के सम्बन्ध में संलग्नक–3 पर,

iv प्रस्तावित बहुमंजिले भवन, जिनके मानचित्र स्वीकृत हैं, परन्तु निर्माण अभी प्रारम्भ हीं हुआ है, के सम्बन्ध में संलग्नपक–4 पर

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बनायी गयी कार्य–योजना तथा इसके क्रियान्वयन के लिये निर्धारित सामय–सारणी के सम्बन्ध में भी स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित किया जना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभिकरण द्वारा शासन को यह प्रमाण–पत्र भी दिया जाए कि उनके द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में बहुमंजिले भवनों में मानचित्र स्वीकृति के समय नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है एवं भविष्य में भी किया जाएगा तथा कोई भी मानचित्र अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

3. विदित है कि उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–(15) की उपधारा–1 में यह प्राविधान है कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा निकाय जिसका मानचित्र स्वीकृत किया गया है, वह स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा और कार्य पूर्ण हो जाने की सुचना लिखित रूप में प्राधिकरण को देगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। इस हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में पूर्णता प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में समुचित प्राविधान किये गये हैं तथा ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक एवं बहुमंजिले भवनों के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र भी दिया गया है, जिसके अनुसार अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो हेतु फायर आफिसर से फायर फाइटिंग सिस्टम का पूर्णता प्रमाण–पत्र संलग्न किए जाने की अनिवार्यता है। अतः उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और पूर्णता–पत्र जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

4. इस महत्वपूर्ण कार्य की शासन स्तर पर होने वाली साप्ताहिक बैठकों में भी समीक्षा की जायेगी। अतः कृपया अपने सबन्धित नोडल अधिकारी निर्देशित कर दें कि वे इस बिन्दु पर भी निर्धारित प्रारूप पर अद्यावधिक सूचना साथ लाना सुनिश्चित करें। यह भी अनुरोध है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जो सूचनायें शासन को प्रेषित की जाए, वे यथा सम्भव उपाध्यसक्ष द्वारा स्वयं अथवा सचिव द्वारा समुचित परीक्षणोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाए, ताकि उनकी सत्यता सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या : 4132(i) /आठ–1–07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : श्री आर.के. सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव

शासनादेश संख्याः सी.एम. 161/आठ–1–07–132रिट/06,दिनांक 13.8.2007 के अनुपालन में बहुमंजिले भवनों में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु चेकलिस्ट

संलग्नक–1

1. भवन जो निर्मत हैं एवं अध्यासित हैं

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या एवं स्थिति	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	मानचित्र स्वीकृति की तिथि	भवन का स्वीकृत उपयोग	फायर एन.ओ.सी. (प्राप्त/नहीं)	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त/ प्राप्त नहीं	अग्निशमन अपेक्षाओं के उल्लंघन की प्रकृति (यदि हों)	उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही (नोटिस/ सीलबंद/ ध्वस्तीकरणं)	अग्नि शमन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु की गयी कार्यवाही/ प्रस्तावित कार्य–योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्नक–2

2. भवन जो निर्मत हैं परन्तु अध्यासित हैं

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या एवं स्थिति	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	मानचित्र स्वीकृति की तिथि	भवन का स्वीकृत उपयोग	फायर एन.ओ.सी. (प्राप्त/नहीं)	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त/ प्राप्त नहीं	अग्निशमन अपेक्षाओं के उल्लंघन की प्रकृति (यदि हों)	उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही (नोटिस/ सीलबंद/ ध्वस्तीकरणं)	अग्नि शमन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु की गयी कार्यवाही/ प्रस्तावित कार्य–योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्नक–3

3. निर्माणाधीन भवन

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या एवं स्थिति	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	मानचित्र स्वीकृति की तिथि	भवन का स्वीकृत भू–उपयोग	फायर एन.ओ.सी. (प्राप्त/नहीं)	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	अग्निशमन अपेक्षाओं के उल्लंघन की प्रकृति (यदि हों)	उल्लंघन के विरूद्ध कार्यवाही (नोटिस/ सीलबंद/ ध्वस्तीकरणं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक–4

4. प्रस्तावित भवन, जिनके मानचित्र स्वीकृत हैं, परन्तु प्रारम्भ नहीं हुआ है

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या एवं स्थिति	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	मानचित्र स्वीकृति की तिथि	भवन का स्वीकृत भू–उपयोग	भवन की ऊँचाई (मीटर में)	फायर एन.ओ.सी. (प्राप्त/नहीं)	यदि फायर एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं, तो की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्य योजना
1	2	3	4	5	6	7	8